राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	चन्द्र सिंह बनाम जीवण सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो।	
06/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। सक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 ने जवाब प्रस्तुत कर तकासमा किये जाने की सहमति जाहिर किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/09/2021 पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 332 कुल किता 10 कुल रकबा 4.44 हैक्टेयर वाके ग्राम घोराला तहसील चाकसू काकासमा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार तहसीलदार चाकसू को कुर्रजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुरेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26/08/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत को गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य किया गया विभाजन विधिसम्मत एवं बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के अनुसार किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है एवं अपीलार्थी तकनीकी आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त करवाना चाहते है, जिसे स्वीकार किया जाना उचित नही समझा जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/08/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	